

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भारकर विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 140/2022
अपीलार्थिगणः


G.C.M.S. No. 2022/392

दर्ज दिनांक : 28.12.2022

1. हुक्मीचंद खीचा पुत्र कुन्दनमल, उम्र 80 वर्ष
2. किर्ती कुमार पुत्र कुन्दनमल, उम्र 65 वर्ष
3. स्व. गणपतराज खीचा पुत्र कुन्दनमल के वारिसान:-
3/1 प्रतीक खीचा पुत्र स्व. गणपतराज खीचा, उम्र 47 वर्ष
3/2 त्रिचा खीचा पुत्री स्व. गणपतराज खीचा, उम्र 50 वर्ष
3/3 सज्जन खीचा बेवा स्व. गणपतराज खीचा, उम्र 67 वर्ष, अपीलांत संख्या 3/2 व 3/3 जरिये मुख्तियार प्रतिक खीचा पुत्र स्व. गणपतराज खीचा, उम्र 47 वर्ष, तमाम जातियान जैन, निवासीगण बेरा बागावा, गणेश सिनेमा रोड, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः



1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
2. अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2007 बअनवान हुक्मीचंद वगैरह बनाम अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सुमेरपुर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5, 14 (2) परिसीमा अधिनियम 1963
पैरोकार-

1. श्री दीपाराम परमार, श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक अपीलांत।
2. श्री पी.एम. जोशी, श्री विकास बंजारा, श्री एस.पी. शर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 28.11.2025

अपीलान्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2007 बअनवान हुक्मीचंद वगैरह बनाम अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सुमेरपुर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि अपीलान्तान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थनापत्र पेशकर यह निवेदन किया गया था कि रेस्पोंडेन्टान प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट में वर्णित उनकी खातेदारी भूमि में रेस्पोंडेन्टान अथवा उनके एजेन्ट नाजायज रूप से दखलअन्दाजी न करें, न तोड़फोड़ करें। इस हेतु रेस्पोंडेन्टान को पाबन्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश दिनांक 16.07.2007 में अपीलान्तान के मामले को अपीलान्तान के पक्ष में प्रथम दृष्टया माना है तथा रेस्पॉडेन्टान को वादग्रस्त भूमि में अपीलान्तान के कब्जे में दखलअन्दाजी न करें। ऐसा माना साथ ही दोनों पक्षकारान को भोके की स्थिति यथावत बनाये रखने के लिये पाबन्द कर दिया एवं उसी आदेश (16.07.2007) को आदेश दिनांक 22.12.2011 के द्वारा पुख्ता कर दिया, जो सरासर गलत होने से काबिल खारिज योग्य है। अपीलान्तान के वादपत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में उनके खातेदारी भूमि में दखलअन्दाजी करने से रेस्पॉडेन्टान को पाबन्द करने की प्रार्थना की गयी हैं। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्तान के पक्ष में जारी आदेश से अपीलान्तान को भी यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द कर दिया। अपीलान्तान के पिता स्व. कुन्दनमलजी द्वारा दान विलेख दिनांक 02.04.1987 द्वारा उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में से केवल 6 बीघा कृषि भूमि दान की हैं, वह भी इस शर्त के साथ कि दान विलेख की दिनांक से 03 साल की अवधि में नगर पालिका, सुमेरपुर उस जमीन पर जनहितार्थ विकास के लिये बस स्टेण्ड, पब्लिक पार्क या खेल मैदान के काम में लेकर विकसित करेगा एवं विकास स्थल पर दानदाता का नाम अंकित किया जायेगा। लेकिन नगर पालिका, सुमेरपुर द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इस कारण गिफ्ट विलेख 3 साल की अवधि में विकास नहीं किये जाने की स्थिति में दान विलेख स्वतः खारिज माना जायेगा उस शर्त के अनुरूप वह दान विलेख 1990 में ही प्रभावहीन हो गया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध है। दान विलेख रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, साथ ही दान विलेख सशर्त नहीं हो सकता। तथाकथित दान विलेख दिनांक 02.04.1987 पंजीकृत नहीं हैं व सशर्त है। इस कारण भी कानूनी दृष्टि से वह दान विलेख दिनांक 02.04.1987 जिस दिन लिखा गया था उसी दिन से शून्य था। उस दान विलेख से नगर पालिका, सुमेरपुर को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो गया था। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2011 के विरुद्ध अपीलान्तान की ओर से उनके वकील साहब के कहे अनुसार समय सीमा में न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष वर्ष 2012 में ही निगरानी का आवेदन प्रस्तुत कर दिया था जो निगरानी टी.ए. संख्या 6949/2012 पर दर्ज होकर दिनांक 08.08.2022 को निर्णित हुआ जिसके फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 18.08.2022 को अपीलान्तान के अधिवक्ता ने प्राप्त कर अपीलान्तान को दिनांक 05.09.2022 को इत्तला दी इस पर दिनांक 07.09.2022 को अपीलान्तान अजमेर गया फैसले की कॉपी प्राप्त की उस समय उसको



उसके वकील साहब ने बताया कि पाली में अपील होगी फिर अपीलान्ट सुमेरपुर गया तथा अपने अधिवक्ता से मिला तो उन्होंने कहा कि इसकी अपील पाली में होगी। इस पर अपीलान्ट दिनांक 12.11.2022 को पाली आकर अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित किया व अपील तैयार करवायी और आज पेश की जा रही हैं। अपीलान्टान को कानून की जानकारी नहीं हैं। जैसा उसके वकील ने बताया उसने वर्ष 2012 में समय रहते राजस्व मण्डल, अजमेर में अपनी निगरानी प्रस्तुत करवा दी थीं, जिसका फैसला दिनांक 08.08.2022 को हुआ। तत्पश्चात ऊपर वर्णित अनुसार उसके अधिवक्ता द्वारा बुलाये जाने पर अजमेर गया, सुमेरपुर गया फिर पाली आकर अपील तैयार करवायी, जो आज पेश की जा रही हैं। इस कारण अपील पेश करने में जो समय लगा अथवा देरी हुई, वह जानबूझकर नहीं की गई है। सदभाविक विलम्ब हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें एवं अपीलांटान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान कर रेस्पोंडेंट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें।




म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए:-

1. 2007 (2) RRT 939
2. RRT 2004 (1) Page 327
3. 2017 (1) RRT 117
4. 2015 (1) RRT 232
5. 2024 RBJ 396
6. 2024 RBJ 404
7. 2017 (1) RRT 711
8. 2024 RBJ 463

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय-निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.12.2011 द्वारा स्वीकार कर उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजीयात की ताफैसला वाद रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत पाबंद किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांत प्रार्थी द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 06.12.2022 को लगभग 11 वर्ष अर्थात लगभग 4015 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांत प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 व 14 (2) परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2011 के विरुद्ध अपीलान्तान की ओर से उनके वकील साहब के कहे अनुसार समय सीमा में न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष वर्ष 2012 में ही निगरानी का आवेदन प्रस्तुत कर दिया था जो निगरानी टी.ए. संख्या 6949/2012 पर दर्ज होकर दिनांक 08.08.2022 को निर्णित हुआ जिसके फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 18.08.2022 को अपीलान्तान के अधिवक्ता ने प्राप्त कर अपीलान्त को दिनांक 05.09.2022 को इत्तला दी इस पर दिनांक 07.09.2022 को अपीलान्त अजमेर गया फैसले की कॉपी प्राप्त की उस समय उसको उसके वकील साहब ने बताया कि पाली में अपील होगी फिर अपीलान्त सुमेरपुर गया तथा अपने अधिवक्ता से मिला तो उन्होंने कहा कि इसकी अपील पाली में होगी। इस पर अपीलान्त दिनांक 12.11.2022 को पाली आकर अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित किया व अपील तैयार करवायी और आज पेश की जा रही हैं। अपीलान्तान को कानून की जानकारी नहीं हैं। जैसा उसके वकील ने बताया उसने वर्ष 2012 में समय रहते राजस्व मण्डल, अजमेर में अपनी निगरानी प्रस्तुत करवा दी थीं, जिसका फैसला दिनांक 08.08.2022 को हुआ। तत्पश्चात ऊपर वर्णित अनुसार उसके अधिवक्ता द्वारा बुलाये जाने पर अजमेर गया, सुमेरपुर गया फिर पाली आकर अपील तैयार करवायी, जो आज पेश की जा रही हैं। इस कारण अपील पेश करने में जो समय लगा अथवा देरी हुई, वह जानबूझकर नहीं की गई हैं। सद्भाविक विलम्ब हुआ है।

3. रेस्पोंडेंट अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2011 के विरुद्ध लगभग 12 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की हैं। जबकि परिसीमा 60 दिवस विहित है। अपीलांत द्वारा देरी का मुख्य आधार अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध वर्ष 2012 में राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करना व निगरानी का निर्णय दिनांक 08.08.2022 को होने से प्रमाणित प्रतियां आदि लेकर अपील पेश किया जाना अंकित किया है। लेकिन राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश में न तो विलंब को क्षमा किया है व न ही सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने के निर्देश दिए हैं। अतः अपीलांट राजस्व मण्डल के उक्त आदेश का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील पेश नहीं कर निगरानी पेश की हैं। जो विधिविरुद्ध रूप से की गई किसी भी कार्यवाही का लाभ प्राप्त करने का अपीलांट अधिकारी नहीं हैं व न ही विधि की अज्ञानता क्षमा योग्य है। विलंब माफ करने के लिए सद्भाविक, संतोषजनक कारण दर्शित नहीं किए हैं। अतः अपील अवधि बाधित होने से खारिज फरमावें।

4. हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा ही वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निर्णित किया गया। अतः अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की आदेश दिनांक से ही बखूबी जानकारी थीं। विधि का यह सुस्थापित प्रावधान है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए पारित किए गए आदेश के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 225 के अंतर्गत प्रथम अपील न्यायालय हाजा में की जा सकती हैं। अपीलांट द्वारा प्रकरण में लगभग 11 वर्ष के दीर्घ विलंब के कारण के रूप में उसके द्वारा अज्ञानतावश पहले माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी दायर करने तथा दिनांक 08.08.2022 को निगरानी खारिज होने से अपील पेश करने में विलंब होना अंकित किया है। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण विलंब के लिए युक्तियुक्त, सद्भाविक व स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्योंकि विधिक प्रावधानों के विपरीत किया गया कार्य विलंब माफ करने का आधार नहीं माना जा सकता। साथ ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी में पारित निर्णय में न तो विलंबकाल माफ किया है एवं न ही अपीलांट को सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने के निर्देश दिए है व न ही निगरानी की सुनवाई में लगे समय को क्षमा किया गया है। बल्कि निगरानी संधारण योग्य नहीं होने के आधार पर खारिज की गई हैं। अतः अपीलांट्स निगरानी एवं उसके निर्णय में लगे समय को माफ करवाने का सिर्फ इस आधार पर अधिकारी नहीं हैं कि उसके द्वारा विधिक अज्ञानतावश निगरानी कर दी गई थीं। अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध कानूनन विहित परिसीमा अवधि में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर विधिविरुद्ध रूप से



राजस्व अपील प्राधिकारी
प्राची

- अन्य न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना एवं निगरानी के निर्णय तक इंतजार करते हुए निर्णय उपरांत अत्यधिक विलंब से अपील प्रस्तुत करना वस्तुतः अपीलांत प्रार्थीगण की घोर लापरवाही व उदासीनता का ही प्रतीक है। जो माफी योग्य नहीं हैं।
5. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-
condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing
appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court
can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason
given to condone the inordinate delay-Held, Order is not
sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 –
Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or
indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be
adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory
and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held
application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section
3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of
limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the
aforesaid provision cannates that the dismissal is mandatory
subject to the exception section 3 of the act is peremptory and
had to be given effect to even though no objection regarding
limitation is taken by the other side or refered to in the
pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court
to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general
rule of limitation.



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

6. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 4015 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन आदेश आरंभतः शून्य या विधिविरुद्ध नहीं होकर विधिक रूप से क्षेत्राधिकार प्राप्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित अपील योग्य आदेश है। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
प्राची


तथा प्रार्थीगण के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 4015 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5, 14 (2) परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विहित परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली

